<u>**2013 का विधेयक संख्या 9**</u>

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 है।

(2) यह 10 दिसम्बर, 2012 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 की विद्यमान उप-धारा (1) में,-

(i) द्वितीय परन्तुक में, अन्त में आये विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि अभियांत्रिकी और स्थापत्यकला संकाय में शिक्षण पदों के लिए चयन समिति में काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से सिंडीकेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.13) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और अधिकारियों का चयन, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। उक्त धारा में काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर के सदस्य के लिए कोई उपबंध नहीं है इसलिए, इस विधेयक में काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर के एक सदस्य को सम्मिलित करने के लिए उपबंध के बारे में संशोधन प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 17 दिसम्बर, 2012 को राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.13) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. दयाराम परमार,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं.18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

5. चयन समितियों का गठन.- किसी विश्वविद्यालय में अध्यापक या अधिकारी के प्रत्येक चयन के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(i) सम्बन्धित विश्वविद्यालय का कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा,

(ii) एक प्रख्यात शिक्षाविद् जो कुलाधिपति द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाये,

(iii) एक प्रख्यात शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाये,

(iv) सिण्डीकेट का एक सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाये,

(v) सदस्यों के रूप में ऐसे अन्य व्यक्ति जो अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अध्यापकों तथा अधिकारियों का चयन करने के लिए उसके स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किये गये हैं:

परन्तु जहां किसी विश्वविद्यालय की कृषि संकाय में अथवा शिक्षण देने वाले या उसके अनुसंधान में मार्गदर्शन करने वाले किसी विश्वविद्यालय-महाविद्यालय में, किसी प्राध्यापक की नियुक्ति की जाने वाली हो वहां, इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से सिण्डीकेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक और विशेषज्ञ होगा:

परन्तु यह और भी कि अभियांत्रिक एवं प्रायोगिक संकाय में शिक्षण पदों के लिये चयन समिति में, ऑल इण्डिया कौंसिल ऑफ टेक्नीकल एज्यूकेशन द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से सिण्डीकेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा।

(2) से (3) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 9 of 2013

THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS AND OFFICERS (SELECTION FOR APPOINTMENT) (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 10th December, 2012.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 18 of 1974.- In the existing sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974(Act No. 18 of 1974), hereinafter referred to in this Act as the principal Act,**-**

(i) in second proviso, for the punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation " : " shall be substituted; and

(ii) after the second proviso so amended, the following new proviso shall be added, namely:**-**

" Provided also that the Selection Committee for teaching posts in the faculty of Engineering and Architecture shall also include an expert to be nominated by the Syndicate out of a panel of names recommended by the Council of Architecture.".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 13 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be to have been done taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Selection of Teachers and Officers in Universities is made as per the provisions of section 5 of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974. In the said section there is no provision for the member of Council of Architecture therefore an amendment regarding the provision for including a member of Council of Architecture is proposed in the Bill.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 13 of 2012) on 17th December, 2012, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 17th December, 2012.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

डॉ. दयाराम परमार,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS AND OFFICERS (SELECTION FOR APPOINTMENT) ACT, 1974 (Act No. 18 of 1974)

XX XX XX XX XX XX

5. *Constitution of selection committees.*- (1) For every selection of a teacher or of an officer in a University, there shall be constituted a committee consisting of the following :-

(*i*) Vice-Chancellor of the University concerned, who shall be the Chairman of the committee;

(*ii*) an eminent educationist to be nominated by the Chancellor for a period of one year;

(*iii*) an eminent educationist to be nominated by the State Government for a period of one year;

(*iv*) one member of the Syndicate to be nominated by the State Government for a period of one year; and

(*v*) such other persons as members specified in column 2 of the Schedule for the selection of the teachers and officers mentioned in column 1 thereof:

Provided that where the appointment of a teacher is to be made in the faculty of agriculture in any University or in any University-College imparting instruction or guiding research in agriculture there shall be one more expert to be nominated by the Syndicate out of a panel of names recommended by the Indian Council of Agriculture Research:

Provided further that the Selection Committee for teaching posts in the faculty of engineering and technology shall also include an expert to be nominated by the Syndicate out of a panel of names recommended by the All India Council of Technical Education.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

2013 का विधेयक सं.9

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया,

विशेषाधिकारी।

(डॉ, दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री)

<u>Bill No. 9 of 2013</u>

THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS AND OFFICERS (SELECTION FOR APPOINTMENT) (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAKASH CHANDRA PICHHOLIA,
Officer On Special Duty

(Dr. Dayaram Parmar, **Minister-Incharge**)